

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रेष,

प्रबन्धक
हैप्पी मॉडल पब्लिक स्कूल
साठ फुटा रोड रामपार्क एक्स लोनी गाजियाबादRegistration 20
16889

पत्रांक/मान्यता/ 8437-39 /2016-17/ दिनांक-02/11/2017

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31.08.2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परचातुर्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं हैप्पी मॉडल पब्लिक स्कूल साठ फुटा रोड रामपार्क एक्स लोनी गाजियाबाद को तारीख 01.04.2017 से तारीख 31.03.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 30.12.2016 की कार्यवाही में व्यक्त सहमति के आधार पर अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है :-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा के परचातुर्वर्ती मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाधता विद्यमान नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों को पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- धारा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूह न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
 - प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - अध्यापकों की मर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रमुख बिंदुओं के अनुसार है:-
 विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-400 कुल निर्मित क्षेत्र-400 कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल-8
 कक्षाओं की संख्या-10 कक्षा प्राधान्याध्यपक कक्षा-1 राह-कार्यालय-1 राह-भांडागार के लिए कक्षा-01
 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-12 पेयजल सुविधा-8
 मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई-01 बाघा रहित पहलू
 अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रभु किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड, अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. अपने विद्यालय को आर्वाटिड मान्यता कोड संख्यांक जे0टी0टी0-03 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित/स्थानीय प्राधिकारों के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सफल अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाध्य के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु प्रति छात्र 9 वर्ग फीट का स्थान सुरक्षित करते हुए कक्षा की माप के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित की जाए।
19. विद्यालय में अर्द्ध व टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अध्यापकों की नियुक्ति की जाए साथ ही आरक्षण का पालन किया जाए।
20. प्रथम तथा निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राधिकारों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

मवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

को/मान्यता/ /2013-14/ तददिनांक-
लिपि-निष्पादित अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
2. सहायक शिक्षा अधिकारी लोनी गाजियाबाद।
3. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

Sdms.Udise.in

School Registration

MANAGER

HAPPY MODEL PUBLIC SCHOOL
60, FUTA ROAD, RAMPARK, EXT, LONI, GZB

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक मान्यता / ११५२-५३

/2025-26

दिनांक १०/६/२०२५

प्रबन्धक,

हैप्पी मॉडल पब्लिक स्कूल,

साठ फुटा रोड रामपार्क एक्स लोनी गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 12-06-2025 द्वारा विद्यालय को स्थाई मान्यता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक मान्यता/8437-39/2016-2017 दिनांक 02-01-2017 द्वारा विद्यालय को कक्षा-नर्सरी से कक्षा-08 तक अंग्रेजी माध्यम की अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी।

विद्यालय द्वारा मान्यता आदेश में दी गयी शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति दिनांक 18-06-2025 के आधार पर तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण यह मान लिया गया है कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थाई मान्यता की शर्तों के मानकों को बनाये रखना होगा। अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ओम प्रकाश यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पू0सं0-मान्यता /

/2025-26

तददिनांक

प्रतिनिधि-सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

MANAGER

जय-य-य
HAPPY MODEL PUBLIC SCHOOL
60, FUTA ROAD, RAMPARK, EXT, LONI, GZB